बीस रुपये COURT FEE Rs.20 भारत INDIA TWENTY RUPEES

दस रुपये COURT FEE भारत INDIA TEN RUPEES

श्री [illegible] द्वारा आज दि. 7-2-17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 7-2-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

R 582 - I - 17

समक्ष मानूनीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्र. ..../.............../............................

विषय :- आदिम जनजाति सदस्य को भूमि विक्रय करने की अनुमति प्रदान करने बावत्।

पक्षकार	-		श्री चेतराम उरेती उम्र लगभग 48 वर्ष पिता श्री मगन लाल उरेती जाति (गौड आदिवासी) निवासी-म.नं. 11, ग्राम डोली पोस्ट खुक्खम थाना कुण्डम तह. व जिला जबलपुर
			विरूद्ध -
अनावेदक	-	1.	श्री अनूप शर्मा उम्र 31 वर्ष पिता श्री अनिल शर्मा (गैर आदिवासी) निवासी 1130, दूरसंचार के पीछे का भाग, म.नं. 11, तह. व जिला जबलपुर
		2.	सोनू राय पिता श्री बिहारी लाल राय (गैर आदिवासी) निवासी-1131, मुस्लिम कर्बिस्तान से लगा क्षेत्र, यादव कॉलोनी, जबलपुर
		3.	म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर, जबलपुर

NOTARY
MOHAMMED ASHFAQUE
JABALPUR DIST M.P
Regd. No. 7829
GOVT. OF INDIA
1 FEB 2017

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत्

1. मानूंनीय न्यायालय कलेक्टर जबलपुर के प्रकरण क्र. **05/अ-21/2016-17** में पारित **अंतरिम आदेश** दि. 25/01/2017 (Annexure-1) से व्यथित होकर **म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत्** यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की जा रही है।

07/02/17

2. यह कि आवेदक पुनरीक्षणकर्ता आदिवासी श्री चेतराम उरेती उम्र लगभग 48 वर्ष पिता श्री मगन लाल उरेती जाति (गौड आदिवासी) निवासी-म.नं. 11, ग्राम डोली पोस्ट खुक्खम थाना कुण्डम तह. व जिला जबलपुर स्थित ग्राम डोली प.ह.नं. 22 रा.नि.मं. इमलई तह. कुण्डम जिला जबलपुर में स्थित भूमि खसरा नं. 90/1 रकवा 1.380 हेक्टेयर भूमि अनावेदक गैर आदिवासी श्री अनूप शर्मा उम्र 31 वर्ष पिता श्री अनिल शर्मा (गैर आदिवासी) निवासी 1130, दूरसंचार के पीछे का भाग, म.नं. 11, तह. व जिला जबलपुर को विक्रय करने की अनुमति हेतु प्रस्तुत

`XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग0 582-एक/17 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कर्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9.2.17	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 05/अ-21/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 25-1-17 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया । यह प्रकरण आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । जिसमें आवेदक द्वारा अपने स्वामित्व एवं मालिकाना हक्क की ग्राम डोली प.ह.नं. 22 रा.नि.मं. इमलई तहसील कुण्डम जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरानं. 90/1 रकबा 1.380 हेक्टर भूमि को अनावेदक क्रमांक 1/गैर आदिम जनजाति के सदस्य को विक्रय करने की अनुमति दिए जाने का अनुरोध किया गया है । उक्त आवेदन पर से कलेक्टर द्वारा प्रकरण दिनांक 5-10-16 को प्रकरण पंजीबद्ध का प्रकरण दिनांक 28-11-16 को ग्राह्यता पर तर्क हेतु नियत किया गया । दिनांक 28-11-16 को पीठासीन अधिकारी प्रशिक्षण पर होने से प्रकरण में दिनांक 27-2-17 की तिथी नियत की गई । दिनांक 28-11-16 के उपरांत आवेदक द्वारा कलेक्टर के समक्ष दिनांक 25-1-17 को शीघ्र सुनवाई का आवेदन प्रस्तुत किया गया जो कलेक्टर ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त किया जाकर प्रकरण पूर्ववत दिनांक 6-2-17 के लिए नियत किया गया है । कलेक्टर के इस आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी पेश की गई है । कलेक्टर के आदेश के संबंध में आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक के आवेदन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है और लंबी पेशी	

K 582-I/17

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	नियत कर दी गई है । आवेदित भूमि शासकीय पट्टे की भूमि नहीं है बल्कि आवेदक की स्वअर्जित भूमि है । आवेदक की समाज के व्यक्ति भूमि को क्रय करने को तैयार नहीं है । आवेदक को कर्ज अदा करने आदि के कारण रूपयों की आवश्यकता है । आवेदक की भूमि विक्रय करने के संबंध में बात गैर आदिम जनजाति के कुछ व्यक्तियों से चल रही है परंतु वे भूमि मिलने के उपरांत ही भूमि क्रय करने की बात कह रहे हैं । जिलाध्यक्ष द्वारा प्रकरण में ग्राह्यता पर तर्क के लिए लंबी पेशी नियत करदी गई है जबकि आवेदक द्वारा जो आधार दिए गए हैं वे भूमि विक्रय की अनुमति देने हेतु पर्याप्त हैं । उनके द्वारा यह भी कहा गया कि अनावेदक क्रं. 1 अब केवल 0.800 हैक्टर भूमि क्रय कर रहे हैं, इस कारण आवेदक अब शेष 0.580 हैक्टर भूमि अनावेदक क्रं. 2 को विक्रय करना चाहता है । अंत में आवेदक अधिवक्ता द्वारा भूमि विक्रय की अनुमति दिए जाने का निवेदन किया गया है । आवेदक की ओर से जो दस्तावेज पेश किए गए हैं उनसे स्पष्ट है कि आवेदित भूमि आवेदक के स्वत्व एवं आधिपत्य की है जो उसके द्वारा क्रय की गई है उक्त भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है । आवेदक द्वारा यह कहा गया है कि उसे वर्तमान वर्ष की गाइड लाइन से अधिक मूल्य प्राप्त हो रहा है, उसके साथ कोई छलकपट नहीं हो रहा है तथा भूमि विक्रय से आवेदक के आर्थिक हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा । आवेदक द्वारा जो दस्तावेज पेश किये गये हैं उनसे यह भी स्पष्ट है कि आवेदक के पास विक्रय हेतु आवेदित भूमि के अतिरिक्त ग्राम डोली में 4.22 हैक्टर भूमि और शेष बच रही है जो उसके जीवनयापन के लिए पर्याप्त है । चूंकि आवेदक आदिम जनजाति का सदस्य है, इस कारण उसके द्वारा संहिता की धारा 165 (6) के तहत भूमि विक्रय की अनुमति चाही गई है । आवेदक द्वारा बताए गए आधारों को देखते हुए इस प्रकरण में उनको भूमि विक्रय की	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निग0 582-एक/17 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

अनुमति दिए जाने में कोई वैधानिक अड़चन नहीं है । दर्शित परिस्थिति में कलेक्टर के समक्ष आलोच्य प्रकरण में प्रचलित कार्यवाही समाप्त करते हुए आवेदक को उसके भूमिस्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम डोली प.ह.नं. 22 रा.नि.मं. इमलई तहसील कुण्डम जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 90/1 रकबा 1.380 में से 0.800 हैक्टर भूमि अनावेदक क्रं. 1 अनूप शर्मा पिता अनिल शर्मा को तथा खसरा नं. 90/1 हैक्टर में से शेष रकबा 0.580 हैक्टर भूमि अनावेदक क्रमांक 2 सोनू राय पिता श्री बिहारीलाल राय को गैर आदिम जनजाति के सदस्य को निम्न शर्तो के साथ विक्रय करने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

1- प्रस्तावित क्रेता वर्तमान वर्ष की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो ।

2- उप पंजीयक द्वारा विक्रयपत्र का पंजीयन, पंजीयन दिनांक को प्रचलित गाइड लाईन की मान से किया जायेगा ।

3- क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी ।

निगरानी तद्नुसार निराकृत की जाती है । पक्षकार सूचित हों ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर